334

330

INDIA NON JUDICIAL

Government of Jharkhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-JH06386756563806P
Certificate Issued Date	:	06-Jul-2017 12:57 PM
Account Reference	:	NONACC (BK)/ jhbobbk02/ SIMDEGA/ JH-SD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-JHJHBOBBK0209137591078287P
Purchased by	:	SUDHA TIGGA
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	SALE DEED
Consideration Price (Rs.)	:	8,32,000 (Eight Lakh Thirty Two Thousand only)
First Party	:	ROSHAN LAKRA
Second Party	:	SUDHA TIGGA
Stamp Duty Paid By	:	SUDHA TIGGA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1 (One only)

Please write or type below this line

रोशन लकड़ा
11/07/17

सुधा तिग्गा
11/07/17

0003218477

Issue Token 1:37:04 PM

Presenter/Executant's Name	Roshan Lakra
Token For	Registry
Counter No	1
Online Application ID (If Any)	Verify On-line Payment
e-Stamp Certificate No. (If Any)	IN-JH06386756563806P Verify

Issue Token

IN-JH06386756563806P:

Stamp Details For Verification. Please click issue after verification

CertificateNo:	**IN-JH06386756563806P**
CertificateIssuedDate:	**06-Jul-2017 12:57 PM**
AccountReference:	**NONACC (BK)/ jhbobbk02/ SIMDEGA/ JH-SD**
UniqueDocReference:	**SUBIN-JHJHBOBBK0209137591078287P**
Purchasedby:	**SUDHA TIGGA**
DescriptionofDocument:	**Article 23 Conveyance**
PropertyDescription:	**SALE DEED**
ConsiderationPriceRs:	**8,32,000**
FirstParty:	**ROSHAN LAKRA**
SecondParty:	**SUDHA TIGGA**
StampDutyPaidBy:	**SUDHA TIGGA**
StampDutyAmountRs:	**1**

Maximum Token Issue Time : 2 PM

Verified by
Joy
11.7.17

रोशन लकड़ा
11/07/17

[illegible] अधिनियम 1908 की धारा
46 (क) [illegible]
[illegible] भारतीय स्टाम्प अधिनियम
[illegible] 1899 की अनुसूची
[illegible]

23 I A With the Permission
by L.R.D.C. Simdega
Vide Case NO. 48/2016-17
order dated
23-8-16

विक्रय पत्र
=======

{1} लेखकारी:- रोशन लकड़ा पिता स्व0 अलफोंस लकड़ा जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- खिजरी नामटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. .. ..   बिक्रेता ।

आधार कार्ड संख्या- 3823 7968 8841

पैन कार्ड सं0- ए. एम. आई. पी. एल. 0237 डी.

शपथ-पत्र संख्या:- 228/2017

अब्राहम लकड़ा
पिता- स्व. अलफोंस लकड़ा
ग्राम- खिजरी नामटोली
थाना- सिमडेगा
जिला- सिमडेगा
दि.- 11-07-2017

[illegible]
11/07/17

§2§ लेख्यधारिणी:- श्रीमति सुधा तिग्गा पति श्री अनुप तिग्गा जाति- उराँव, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- खिजरी सामटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

आधार कार्ड संख्या- 6063 5924 5368

शपथ-पत्र संख्या:- 229/2017

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा दिन के वास्ते बिक्रीहोता है ।

§4§ मूल्य:- मौबलिग आठ लाख बत्तीस हजार रूपये अंके 8,32,000/- रूपये होता है ।

§5§ सम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा- खिजरी सामटोली, थाना- सिमडेगा, थाना नं० 105, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं० 152 §एक सौ बावन§ प्लॉट नं० 2176 §एक्कीस सौ छेहत्तर§ रकबा 1.40 एकड़ में से 0.13 एकड़ §तेरह डिसमिल§ जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का शेष अंश,

दक्षिण:- इसी प्लॉट का शेष अंश,

पूरब :- इसी प्लॉट का शेष अंश,

पश्चिम:- पक्की सड़क ।

मालगुजारी 05 पैसा §पाँच पैसा§ अलावे सेस सालाना ।

वर्णित विक्रीत जमीन आवासीय है जिसपर मकान या किसी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा विक्रय वाली जमीन शहरी क्षेत्र के चार भागों में से आवासीय क्षेत्र में पड़ता है जो वार्ड नं० 06 पर अवस्थित है ।

सौगान कच्हे 11/07/2017

सौगान लिया
नेमित्र लिया
गांवारा
[illegible]

§1§ चूँकि मुझ लेख्यकारी को बीमारी का ईलाज कराने के वास्ते रूपयों की आवश्यकता पड़ी और इस समय बिना जमीन बेचे रूपया मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं पाकर मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन को खरीदने का प्रार्थना किया जिसे उन्होंने जमीन खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

§2§ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारिणी के हाथ नाद कीमत चुकता पाकर बेचा वो बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§3§ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित बिक्रीत जमीन खतियानी है खतियान में लछन उराँव के नाम से नाप दर्ज है । पंजी II के भोल्युम VI के पृष्ट संख्या 20 में मेरे पिता अलफोंस उराँव के नाम से जमाबन्दी कायम है तथा उन्हीं के नाम से मालगुजारी रसीद कटता है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ वो मेरे नीज हिस्से वो दखल कब्जे की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है तथा किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या बारदेन नहीं है । खतियान के अनुसार जमीन कायमी है तथा लगान पाने वाले का नाम मनेजर इन्कम्बर्ड स्टेट मीन जानीब टीकैत श्री निवास हकुम सिंह देव दर्ज है ।

रौशनी लकड़ा
11/07/17

(4) चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए न्यायालय श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया जिसका वाद संख्या 48/2016-17 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 23.8.2016 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 761(11) दिनांक 23.8.2016 है।

(5) अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर मकान, सहन, कुँआ, बारी इत्यादि बनाकर अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से वो अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें।

(6) इसलिए यह विक्रय-पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे।

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि विक्रय वाली जमीन भू-हदबन्दी, कैसरे हिन्द, खास महल, भू-दान, सैरात, लीज, आम गैर मजरूआ से सम्बन्धित नहीं है।

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि बिक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

रोशन लकड़ा

रोशन लकड़ा
11/07/17

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बांये हाथ की पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
11.07.2017

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सुधा तिग्गा

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी के बाँये हाथ का पाँचों अँगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
11.07.2017

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
(प्रारूपकर्ता)
तारीखः- 11.07.2017

11/07/17

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में मेरे द्वारा टंकित हैं जो खण्डन रहित है ।

टंकक
मो0 महबूब
11.07.2017
मो0 महबूब
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

अनुलग्नक :-

1. बिक्रेता, क्रेतिका एवं पहचानी गवाह का आधार कार्ड का छायाप्रति,
2. परमिशन शेड्युल का मूल प्रति,
3. परमिशन रिपोर्ट एवं आदेश का सच्ची प्रमाणित प्रति,
4. खतियान का सत्यापित प्रति,
5. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
6. फोर्म नं0 1 का मूल प्रति,
7. भिलेज मैप का छायाप्रति,
8. ट्रेस मैप का मूल प्रति,